न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/2020–21

ललिता देवी .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदिका ललिता देवी, पति– महेश मिश्रा, साकिन– पथलडीहा, पोस्ट– बरवाडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **129 R27/2017-18** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
पथलडीहा	102	01	1576	14.5 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **129 R27/2017-18** में दिनांक 19.05.2018 को पारित आदेश में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा उल्लेख किये गये टिप्पणी यथा– आवेदित भूमि खाता नं0 1 प्लॉट नं0 1576 ऑनलाईन में दर्ज नहीं जो खाता नं0 1 के जगह 1/88 होना चाहिए जो नहीं है ऑनलाईन में गलत इंट्री है। सर्वे खतियान हिरवंश पांडे के नाम दर्ज है, उक्त टिप्पणी के आलोक में नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कारण पृच्छा में उक्त भूमि से ऑनलाईन प्रविष्टी में सुधार कर प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **129 R27/2017-18** में दिनांक 19.05.2018 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

18/11/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

18/11/20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)